राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1843/2008/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन वार्ड–तृतीय, वृत–प्रथम, राज., जयपुर ....अपीलार्थी

बनाम

मै0 लिब्रा फ्रेटवेज(रजि.) ,
नया बाजार, दिल्ली .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

प्रत्यर्थी बावजूद अखबार प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 20/10/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 1999/आरएसटी/एनआरडी/97–98 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–तृतीय, वृत–प्रथम, राज. जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.1997 के द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,11,096/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.08.97 को सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन संख्या पीबी–10–टी/9374 का अंकुर टाकीज के पास आगरा रोड, जयपुर की तरफ पीछा करने पर वाहन को उडनदस्ता चुंगी कर नगर निगम जयपुर द्वारा रोका गया एवं चालक वाहन छोड़ कर भाग गया। वाहन की जांच करने पर वाहन में एक लिफाफा प्राप्त हुआ। लिफाफे में रायल बंगाल ट्रासपोर्ट कम्पनी का चालान जो दिल्ली से मुम्बई के लिए बना है तथा जिसमें 6 बिल्टियों से संबंधित 101 नग अंकित है एवं चालान में दर्ज 6 बिल्टियां मय बिलों के रखी पाई गयी। वाहन चालक के वाहन छोड़कर भाग जाने पर करापवंचन का सन्देह होने पर वाहन को नियमानुसार कब्जे राज लिया गया। वाहन में लदे माल के भौतिक सत्यापन हेतु नियमानुसार रॉयल बंगाल ट्रांसपोर्ट कम्पनी को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 21.08.1997 को लिब्रा ट्रांसपोर्ट कं. के मैनेजर हरप्रीत सिंह ने उपस्थित होकर उक्त वाहन उनकी ट्रांसपोर्ट कं. से संबंधित बताया एवं वाहन में लदे माल से संबंधित दस्तावेजात जो कि दिल्ली से जयपुर के लिये बने थे, सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये। जिनके अनुसार कुल 17 नग दिल्ली से जयपुर के लिए परिवहनित किये जा रहे थे। तत्पश्चात मै0 लिब्रा ट्रांसपोर्ट कं0 के मैनेजर एवं वाहन चालक श्री राकेश कुमार की उपस्थिति में वाहन में लदे माल का भौतिक सत्यापन किया गया जिसके अनुसार वाहन में कुल 97 नग लदे पाये गये जबकि दिनांक 11.8.97 को पाये गये दस्तावेजों में कुल 101

लगातार.....2

नग परिवहनित किया जाना दर्ज किया हुआ था। उक्त माल के साथ घोषणा पत्र एस.टी. 18–ए संलग्न होना चाहिये था, जो कि संलग्न नहीं था। इस कारण से सशक्त अधिकारी द्वारा मै0 लिब्रा फ्रेटवेज दिल्ली को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं दिल्ली के व्यवसाइयों के पंजीयन क्रमांकों की जयपुर कर भवन स्थित कम्प्युटर फ्लापी से जांच करवाई गई, जिसमें एक फर्म के अलावा शेष फर्मे बोगस पाई गई। नोटिस की पालना में नियत तिथि में किसी के उपस्थित नहीं होने पर एक तरफा कार्यवाही करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा कर चोरी की नियत से मिथ्या दस्तावेजों के जरिये परिवहनित किये जा रहे माल कीमतन रू0 3,84,520/– पर अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत रू0 1,11,096/– की शास्ति आदेश दिनांक 30.08.1997 से आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 29.11.2007 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना जरिये अखबार प्रकाशन के अनुपस्थित रहा।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वाहन चालक द्वारा वाहन को भगा ले जाने एवं तत्पश्चात् सड़क के किनारे छोड़कर चले जाने का तथ्य निर्विवादित है, जो प्रथम दृष्टया कर चोरी की मंशा प्रकट करता है। सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में माल से सम्बन्धित लिफाफा पाया गया, जिसमें वाहन संख्या 9374/PB-10T एवं 101 नग परिवहनित किये जाने का उल्लेख किया हुआ है। वाहन को कब्जेराज लिये जाने पर प्रत्यर्थी ट्रांसपोर्टर कम्पनी के मैनेजर श्री हरप्रीत सिंह उपस्थित हुए एवं चालान संख्या 782 दिनांक 08.08.1997 प्रस्तुत किया, जिसमें माल दिल्ली से जयपुर के लिये परिवहनित किये जाने का उल्लेख है। श्री हरप्रीत सिंह की उपस्थिति में वाहन में लदे माल का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें वाहन में 97 नग माल पाया गया। जबकि वक्त जांच पाये गये लिफाफे के अनुसार वाहन में 101 नग माल का परिवहन किये जाने का उल्लेख किया हुआ है। वाहन में लदे माल पर जयपुर का मार्का अंकित पाया गया तथा उन बिल्टियों के क्रमांक भी अंकित पाये गये, जिनके द्वारा माल दिल्ली से जयपुर भेजा गया था। जबकि वक्त जांच पाये गये चालान में माल का परिवहन दिल्ली से मुम्बई के लिये किया जाना प्रदर्शित किया गया था। श्री हरप्रीत सिंह द्वारा प्रस्तुत चालान में माल 'ओल्ड मोटर पार्ट्स' अंकित पाया गया, जबकि माल के भौतिक सत्यापन पर नया माल पाया गया था। उक्त तथ्यों से प्रकट होता है कि माल का परिवहन

लगातार.....3

दिल्ली से जयपुर के लिये किया जा रहा था, किन्तु करापवंचन के आशय से दस्तावेजों में माल का परिवहन दिल्ली से मुम्बई के लिये परिवहन किया जाना दर्शाया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग में उपलब्ध कम्प्यूटर फ्लोपी से जांच की जाने पर दिल्ली की विक्रेता फर्में अपंजीकृत पायी गयी। इस प्रकार समस्त दस्तावेज मिथ्या एवं बोगस पाये गये। इसके अतिरिक्त परिवहनित माल के साथ घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए भी नहीं पाया गया, जो कि बाध्यकारी रूप से दस्तावेजों के साथ होना चाहिये था। माल परिवहन में उक्त कमियों के मद्देनजर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से ना तो कोई उपस्थित हुआ एवं ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया।

6. प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत वाहन की जयपुर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भी चैकिंग की गयी है, जिसमें चुंगी की चोरी किये जाने का उल्लेख है, एवं इस बात का पत्र पत्रावली में लगा हुआ है। इस प्रकार प्रत्यर्थी ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा मिथ्या एवं कूटरचित दस्तावेजों से माल का परिवहन किया जाना प्रमाणित होता है।

7. उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए, प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी है, जिसे विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29.11.2007 अपास्त करते हुए, सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 30.08.1997 की पुष्टि की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष